

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-396/2019

सुमन पत्नी शेरसिंह जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम्

शेरसिंह पुत्र बंशीधर जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री करनैल सिंह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं 8 एफटीपी ए के खाता सं 77/71 के प 0 न 0 207/250 मु 0 27 किलानं 0 6,13,14,15/1.012 है 0 तथा इसी चक के खाता सं 0 78/76 में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम अंकित कुल .506 है 0 भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं 0 8 एफटीपी ए के खाता सं 0 77/71 मे से प्रतिवादी का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने व इसी चक के खाता सं 0 78/76 में प्रतिवादी शेरसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/12/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी